	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 24, शुक्रवार, शाके 1941-नवम्बर 15, 2019 Kartika 24, Friday, Saka 1941- November 15, 2019	

भाग – 1(क)

नियुक्तियों छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2019

संख्या प.5 (53)/सीओआई/सम/डीईएस:– जनगणना अधिनियम, 1948 (37/1948) के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित जनगणना अधिकारियों के पदनामों के अनुरूप नियुक्त करते है। उक्त समस्त अधिकारी तालिका के कॉलम 5 में उनके पदनाम के आगे दर्शाए गए क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2021 को आयोजित करने, उसमें सहयोग प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

<u>संभाग, जिले, उपखण्ड एवं तहसील स्तर की नियुक्तियां</u>

क्रम संख्या	**स्तर (Leval)**	**धारित पद नाम**	**जनगणना अधिकारी का पदनाम**	**क्षेत्राधिकार**
1	2	3	4	5
1.	संभाग	संभागीय आयुक्त	संभागीय जनगणा अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	जिला	जिला कलेक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकार	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	जिला	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
4.	जिला	उप/ सहायक निदेशक, जिला सांख्यिकी कार्यालय	उप जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
5.	उपखण्ड	उप खण्ड अधिकारी	उपखण्ड जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
6.	उपखण्ड	तहसीलदार	तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

7.	तहसील	नायब तहसीलदार	अतिक्ति तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिका स्तर की नियुक्तियां

क्रम संख्या	स्तर (Level)	धारित पद नाम	जनगणना अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम	आयुक्त	प्रमुख जनगणा अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त /उपायुक्त	नगर जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
	नगर परिषद / नगर पालिका	आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी		उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका	राजस्व अधिकारी	उप नगर जनगणा अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करते है कि वे अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार में आवश्यक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने व सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना का कोई भी कार्य आवंटित किया गया है उसे करने से मना करता है या उसमें किसी प्रकार की बाधा या रूकावट उत्पन्न करता है तो वह एक हजार रूपये (Rs 1000/-) नकद तक की शास्ति और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अभय कुमार,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।